न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, पाली संभाग, पाली
पीठासीन अधिकारी :– श्री हरफूल सिंह यादव,आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या :–12 / 2024
जी.सी.एम.एस नंबर :– 2024 / 12

अपीलाण्ट :–	बनाम	रेस्पोडेन्ट :–
1. शैतानसिंह पुत्र थानसिंह, उम्र 55 वर्ष, जाति राजपूत निवासी सायला, तहसील. सायला, जिला जालोर (राजस्थान)		1 .खेतसिंह पुत्र कानसिंह
2. भीकसिंह गोद मेती, उम्र 67 वर्ष, जाति राजपूत निवासी सायला, तहसील सायला, जिला जालोर (राजस्थान)		2. बलवंतसिंह पुत्र कानसिंह
		3. मालसिंह पुत्र कानसिंह सभी जाति राजपूत, निवासीगण सायला, तहसील सायला, जिला जालोर (राजस्थान)
		4. भूमिधारी तहसीलदार सायला, तहसील सायला, जिला जालोर (राजस्थान)
		5. चतरसिंह पुत्र थानसिंह,
		6. फाउकंवर पत्नी थानसिंह, सभी जाति राजपूत, निवासीगण सायला, तहसील सायला, जिला जालोर (राजस्थान)
		7. उदयसिंह गोद जयसिंह जाति राजपूत, निवासी सायला, तहसील सायला, जिला जालोर (राजस्थान)

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश निर्णय उपखंड अधिकारी सायला नम्बर 4 / 2019 उनवान खेतसिंह वगैरह बनाम भीकसिंह वगैरह निर्णय दिनांक 30–06–2021

उपस्थिति :–
1. श्री मनीष राजपुरोहित, श्री भेराराम, विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट।
2. श्री लक्ष्मीनारायण वैष्णव, विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट।

:: निर्णय ::

दिनांकः– 9.9.24

1. पत्रावली में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सायला के प्रकरण संख्या 4 / 2019 में निर्णय दिनांक 30.06.2021 से व्यथित होकर अपीलाण्ट ने प्रथम अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई।

9/9/24
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

राजस्व अपील संख्या 12/2024 शैतान सिंह बनाम खेत सिंह

2. यह अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्ट्स को जरिये नोटिस से तलब किया गया।

3. बहस उभयपक्ष की सुनी गई।

4. विद्वान अधिवक्ता वकील अपीलाण्ट ने बहस के दौरान अपील मीमो में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुये कथन किया कि विद्वान न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, जो विधि के विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

अपीलाण्ट के अधिवक्ता ने अभिकथन कर निवेदन किया कि :–

विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित करने में न केवल प्रकरण के आवश्यक एवं महत्वपूर्ण तथ्यों को नजरअंदाज किया है. बल्कि बुनियादी कानूनी सिद्वान्तों की भी अनदेखी की है। लिहाजा इसी आधार पर जेर–अपील आदेश काबिले मंसूख है।

विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं दस्तावेजों का सही तौर पर विवेचन नहीं किया है तथा केवल रेस्पोडेंट्स–प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र तथा तहसीलदार, सायला द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट को ही आधार बनाकर अपीलार्थीगण का पक्ष सुने बगैर एकतरफा निर्णय जेर अपील पारित किया है, जो कि निरस्त किये जाने योग्य है।

अपीलाधीन आदेश इस कारण से भी काबिले–मंसूख है कि तहसीलदार, सायला द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में स्पष्ट लिखा हुआ है कि खसरा नम्बर 1228 रिकॉर्डेड गैर मुमकिन रास्ता है। **राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होकर उक्त रास्ता अपीलार्थीगण एवं रेस्पोडेंट्स प्रार्थीगण की खातेदारी के मध्य से गुजरता है।** उक्त तथ्य संलग्न जमाबंदी और नक्शे से भी रोशन है। उक्त तथ्य रेस्पोंडेंट्स–प्रार्थीगण ने जानबूझकर अपने प्रार्थनापत्र में छुपाया है और अधीनस्थ न्यायालय ने भी इस तथ्य को पूरी तरह अनदेखा कर दिया है। लिहाजा जेर–अपील आदेश दिनांक 30-06-2021 निरस्त किये जाने योग्य है।

अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व इस बात का भी खयाल नहीं किया कि राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 4/2019 के **नोटिस कभी भी अपीलार्थीगण को सम्यक रूप से विधिवत तामील नहीं हुए।** तामील कुनिंदा ने रेस्पोडेंट्स प्रार्थीगण के साथ मिलावट कर अपीलार्थी संख्या 1 द्वारा नोटिस लेने से इनकारी की बात लिखी है तथा अपीलांट संख्या 2 के नहीं मिलने पर आबाद मकान पर चस्पा करने की रिपोर्ट पेश की है। तामील कुनिंदा ने अपनी रिपोर्ट में दो मौतबिर के समक्ष उक्त तामील पूरी करने की इबारत अंकित की है, पत्रावली पर उपलब्ध नोटिस पर एक ही मौतबिर के हस्ताक्षर है और उसकी भी कोई पहचान अंकित नहीं है। यह पूरी तरफ अस्पष्ट है कि मौतबीर के तौर पर हस्ताक्षर करने वाला व्यक्ति कौन है? इससे जाहिर है कि रेस्पोडेंट्स–प्रार्थीगण ने अपने पक्ष के लोगों की तामील करवाकर तथा तामील कुनिंदा से मिलावट कर अपीलार्थीगण को नोटिस नहीं देकर जेर–अपील निर्णय प्राप्त करने की गरज से गलत रूप से तामील करवाई है, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के खिलाफ है। लिहाजा हस्तगत अपील स्वीकार करने तथा अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जाने योग्य है।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

राजस्व अपील संख्या 12/2024 शैतान सिंह बनाम खेत सिंह

अपीलार्थीगण एवं रेस्पोडेंट्स प्रार्थीगण की भूमि के मध्य एक रिकॉर्डेड रास्ता गुजरता है। जिसके खसरा नम्बर 1228 है। अपीलार्थीगण की खातेदारी भूमि उनकी पुश्तैनी है, जबकि रेस्पोडेंट्स प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी खरीदसुदा है। अपीलार्थीगण एवं रेस्पोडेंट्स–प्रार्थीगण की भूमि के मध्य जो रिकॉर्डेड रास्ता गुजरता है, वह रेस्पोडेंट्स के उक्त आराजी खरीद से पहले से ही राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है तथा अन्य खातेदारों के आवागमन का भी एक मात्र रास्ता है। इस तथ्य को रेस्पोडेंट्स प्रार्थीगण ने गलत तरीके से प्रस्तुत किया है कि अपीलार्थीगण द्वारा माठ को तोड़ा जा रहा है, जबकि हकीकत यह है कि उक्त रिकॉर्डेड रास्ते के बाद अपीलार्थीगण की माठ आती है। ऐसे में मात तोड़ने का सवाल ही नहीं उठता है। रेस्पोडेट्स ने रास्ते के दूसरी तरफ अपने हिस्से की माठ को तोड़ कर तारबंदी की है। इस तरह रेस्पोडेंट्स ने गलत तथ्य प्रस्तुत कर अधीनस्थ न्यायालय से एकतरफा निर्णय जेर–अपील प्राप्त किया है. जो निरस्त किये जाने योग्य है।

अपीलार्थीगण की माठ करीब 100 साल पुरानी है तथा माठ पर खेजड़ी और नीम के बड़े–बड़े दरख्त खड़े हैं। वर्तमान में अपीलांट्स द्वारा अपनी खातेदारी आराजी में फसल भी बोई हुई है। रेस्पोडेंट्स प्रार्थीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को अंधेरे में रखकर एकपक्षीय निर्णय जेर–अपील पारित करवाया है, जो काबिले–मंसूख है।

उक्त राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 4/2019 के नोटिस अपीलार्थीगण को कभी तामील नहीं हुए। अपीलाधीन आदेश दिनांक 30-06-2021 की जानकारी अपीलार्थीगण को उस समय हुई जब दिनांक 19-09-2022 को तहसीलदार कार्यालय, सायला के कार्मिकों ने बताया कि आपकी खातेदारी आराजी में पत्थरगढ़ी करने आ रहे हैं। उस पर अपीलार्थीगण ने एतराज जताया कि बिना कोर्ट के आदेश के पत्थरगढ़ी नहीं की जा सकती। जिस पर तहसीलदार कार्यालय के कर्मचारियों ने बताया कि अपीलार्थीगण के खिलाफ उपखंड अधिकारी न्यायालय से आदेश पारित हो गया है। जिस पर अपीलार्थीगण ने इसकी नकल के लिए दिनांक 21-09-2022 को आवेदन कर सर्टिफाइड नकल प्राप्त की। जिससे पारित निर्णय व प्राप्त नकल से उक्त अपील अपीलांट्स द्वारा अंदर म्याद पेश की जा रही है। अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को कण्डोन करने के लिए अलग से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–5- परिसीमा अधिनियम, 1963 प्रस्तुत किया जा रहा है।

अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत वर्तमान अपील स्वीकार फरमाई जाकर विद्वान उपखण्ड अधिकारी, सायला द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 4/2019 (बअनवान खेतसिंह वगैरा बनाम भीकसिंह वगैराह) में पारित आदेश दिनांक 30-06-2021 को अपास्त फरमाया जावे।

रेस्पोडेण्ट के अधिवक्ता ने अभिकथन कर निवेदन किया कि :–

रेस्पोडेण्टगण की खातेदारी आराजी सरहद मौजा सायला चक नं. 1 तहसील सायला जिला जालौर राज. के वर्तमान खसरा नं. 1228, 1242, 1243, 1315 1244, 1245, 1246, 1247, 1248,1315 जूमले कुल रकबा 13.1800 है. की आयी हुई है तथा इसी माफिक मौके पर रेस्पोडेण्टगण का कब्जा काश्त है

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

राजस्व अपील संख्या 12/2024 शैतान सिंह बनाम खेत सिंह

रेस्पोडेण्टगण की खातदोरी आराजी खसरा नं. 1228, 1242, 1243, 1244, 1245, 1246, 1247, 1248, जूमले कुल रकबा 13.1800 है. के पडौस में ही मौजा सायला चक नं. 1 के वर्तमान खसरा नं. 1227 रकबा 14.888. किस्म चा. सो. की खातेदारी आराजी प्रार्थीगण भीकसिंह गोद मैती, चतरसिंह, शैतानसिंह पुत्रगण थानसिंह, फाउकंवर पत्नी थानसिंह, उदयसिंह गौद जयसिंह जातियान राजपुत निवासीगण सायला की आयी हुई है

रेस्पोडेण्टगण के पडौसी मौजा सायला चक नं. 1 के वर्तमान खसरा नं. 1227 के खातेदार भीकसिंह वगैरा आये दिन रेस्पोडेण्टगण की खातेदारी व प्रार्थीगण की खातेदारी के बीच की माठ को लेकर हम रेस्पोडेण्टगण के साथ झगडा टंटा करते रहते है तथा रेस्पोडेण्टगण की माठ को आये दिन नुकसान पहुंचाते रहते है जिससे रेस्पोडेण्टगण को आर्थिक नुकसान तथा मानसिक परेशानी रहती है तथा हम रेस्पोडेण्टगण के मन मे किसी भी समय उक्त बीच की माठ को लेकर झगडा टंटा होने का डर मन मे सताता रहता है।

रेस्पोडेण्टगण की खातेदारी में कुल रकबा 13.1800है. कृषि भूमि अंकित है जो रेस्पोडेण्टगण नापकर पत्थरगढी के जरिये प्राप्त करने के हकदार है तथा ऐसी पुरी सम्भावना है कि रेस्पोडेण्टगण की खातेदारी की कुछ भूमि मौजा सायला चक नं. 1 के वर्तमान खसरा नं. 1227 में मेरे पडौसी खातेदारों के अन्दर है इसलिये उक्त तथ्यो को छुपाने के लिये तथा रेस्पोडेण्टगण पर दबाव बनाने के लिये खसरा नं. 1227 के खातेदार रेस्पोडेण्टगण की माठ को आये दिन क्षति पहुंचाते है तथा रेस्पोडेण्टगण से झगडा टंटा करते है जिससे हल्काराज में अमन चैन भंग होने की पुरी सम्भावना बनी रहती है।

उक्त समस्या का समाधान खसरा नं. 1228, 1242, 1243, 1244, 1245, 1246, 1247, 1248, जूमले कुल रकबा 13.1800है. की पत्थरगढी सीमांकन सीमा विवाद केवल पैमाईश नक्शा मौका व वर्तमान नक्शे के अनुसार पत्थरगढी करने के बाद ही हो सकता है रेस्पोडेण्टगण के पास अन्य कोई विकल्प नही है।

रेस्पोडेण्टगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर भूमिधारी तहसीलदार सायला को मौजा सायला चक नं. 1 के वर्तमान खसरा नं. 1228, 1242, 1243, 1244, 1245, 315 1246, 1247, 1248, जूमले कुल रकबा 13.1800 है. कृषि भूमि की पेमाईश व सीमाकंन रेस्पोडेण्टगण के खर्चे से रेस्पोडेण्टगण की उपस्थिति में पत्थरगढी करने का आदेश फरमावे।

हमने उपस्थित पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर चिन्तन एवं मनन किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावलीयों का बगौर अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पाया गया कि कृषि भूमि की पेमाईश व सीमाकंन एवं पत्थरगढी करने का आदेश, राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज रास्ता अपीलार्थीगण एवं रेस्पोडेंट्स की खातेदारी के मध्य से गुजरता है को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ध्यान में रखकर सुना गया नही है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण को दर्ज करने के पश्चात् संबंधित पक्षकारो को सुनवाई का अवसर नही दिया गया है न ही अपीलाण्ट को सी.पी.सी. के विधिक प्रावधानो के अनुसार सुना गया है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि के प्रावधानो के अनुसार नही है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश को यथावत रखना न्यायोचित प्रतीत नही होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सायला के प्रकरण संख्या 4/2019 निर्णय दिनांक 30.06.2021 को अपास्त किया जाता है। न्यायालय उपखण्ड

9/9/24

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

अधिकारी सायला को प्रकरण इन दिशा निर्देशो के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलाण्ट्स एवं रेस्पोडेण्ट दोनो को सुनवाई तथा साक्ष्य प्रस्तुत का पर्याप्त अवसर प्रदान करने के बाद एक माह में विधि सम्मत निर्णय पुनः पारित करै। अधीनस्थ न्यायालय का मूल रिकॉर्ड इस निर्णय की प्रति के साथ माफिक निर्णय पालना करने हेतु पुनः लौटाया जावे। पत्रावली दर्ज फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावे।

9/9/24

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

यह निर्णय आज दिनांक 9.9.24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सरे–इजलास सुनाया गया।

9/9/24

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)